कार्यालय कलेक्टर, जिला नारायणपुर (छ.ग.)

आदिवासी विकास शाखा

दूरभाश (कार्यालय) 07781-252881, (फैक्स) 252920

Emil-collector.assttw.narayanpur@gmail.com

क्रमांक/3066/आ.वि./शिक्षा/2014-15, नारायणपुर, दिनांक 04/12/2014

--:: रुचि की अभिव्यक्ति ::--

(पी.एस.सी.प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग हेतु)

आई.ए.पी. योजना अन्तर्गत स्वीकृत राशि से जिला मुख्यालय नारायणपुर में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र विद्यार्थियों को छ.ग. लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सिविल सेवा परीक्षा, छ.ग. व्यापम के माध्यम से ली जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण उपलब्ध कराने एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाकर परिणाममूलक सफलता सुनिश्चित करने हेतु इस क्षेत्र में कार्यरत निजी प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं से रुचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) आमंत्रित की जाती है।

1. रुचि की अभिव्यक्ति में निम्नलिखित प्रस्ताव शामिल होंगे।
    1. कोचिंग संस्था सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860/छ.ग. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1973 के तहत पंजीकृत हो। संस्था का जीवित पंजीयन निविदा प्रकाशन दिनांक से न्यूनतम 05 वर्ष पूर्व का होना चाहिए।
    2. संस्था का पी.ए.एन./टी.ए.एन.नम्बर अनिवार्यतः होना चाहिए।
    3. विगत 03 वर्षों में संस्था का औसत टर्न ओव्हर 10 लाख से कम नहीं होना चाहिए।
    4. संस्था को भारत सरकार/राज्य सरकारों के साथ अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्पसंख्यकों के लिए चलाए जाने वाले समान प्रकृति के प्रोजेक्ट का अनुभव हो ऐसी संस्थाओं को वरीयता दी जाएगी। कार्यादेश/अनुबंध की प्रति अनिवार्यतः संलग्न करें।
    5. कोचिंग संस्था का प्रोफाईल, कोचिंग संस्था इस प्रकार की योजना पर प्रदेश में कहीं कार्य कर रही है, तो उसका विवरण एवं दस्तावेज, राज्य सिविल सेवा परीक्षा, व्यापम, परीक्षाओं में छत्तीसगढ़ में प्राप्त विगत 03 वर्षों की उपलब्धियां, कोचिंग संस्था के फैकल्टी सदस्यों एवं शैक्षणिक स्टाफ की शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव।
    6. अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराए जाने योग्य अध्ययन सामग्री, कोचिंग में प्रयोग हेतु मल्टीमीडिया सुविधाओं की उपलब्धता का विवरण।
    7. प्रत्येक कोचिंग केंद्र पर अनुमानित व्यय विवरण।
    8. आमंत्रित कोचिंग संस्था को कोचिंग हेतु 45000/- की अमानत राशि (सुरक्षा निधि) का बैंक ड्रॉफ्ट के रूप में जमा करना होगा। सुरक्षा निधि सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास नारायणपुर के नाम से डीमांड ड्राफ्ट के रूप के रूप में होगा । सफल निविदाकार की अमानत राशि (सुरक्षा निधि) राशि रोक कर शेष को 15 दिवस के भीतर वापस लौटा दी जायेगी।
    9. विस्तृत परियोजना प्रस्ताव एवं अन्य आवश्यक जानकारी।

10. इच्छुक कोचिंग संस्था दो बंद लिफाफे में अपना निविदा प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। एक बंद लिफाफे में संस्था का प्रोफाइल, विस्तृत प्रस्ताव एवं कोचिंग हेतु अमानत राशि रूपये 45000/- (रूपये पैतालीस हजार मात्र) बैंकर्स चेक एवं अन्य अभिलेख रखा जाना अनिवार्य होगा। तथा दूसरे बंद लिफाफा में एवं अनुमानित व्यय विवरण (वित्तीय निविदा) रखा जाए। दूसरे बंद लिफाफा में प्रति छात्र प्रतिमाह के आधार पर शिक्षण शुल्क का सुस्पष्ट प्रस्ताव दिया जावे।

निविदा प्रपत्र का मूल्य रू. 500/- है, जो नगद या विभागीय जमा शीर्ष मे **"0250 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, 102-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गो का कल्याण"** मद मे चालान जमा कर सहायक आयुक्त आदिवासी विकास नारायणपुर से प्राप्त किया जा सकता है। दोनो बंद लिफाफे को एक अन्य बड़े लिफाफे में सील्ड कर अन्तिम तारिख तक कार्यालयीन अवधि में जमा करना होगा। लिफाफे के पर 'आई.ए.पी. योजना अन्तर्गत कोचिंग प्रस्ताव' लिखना अनिवार्य होगा।

इस हेतु इच्छुक प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाएं अपनी रुचि की अभिव्यक्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता को दिनांक 23.12.2014 समय अपरान्ह 1.30 बजे तक अनिवार्यतः उपलब्ध कराए, उक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नही किया जाएगा। रुचि की अभिव्यक्ति के तहत प्राप्त निविदाओं को उसी दिन अपरान्ह 4:00 बजे प्रतियोगी संस्थाओ के उपस्थित प्रतिनिधियों के समक्ष खोला जाएगा तथा आवश्यक होने पर कंडिका 01 से 10 के अनुसार अभिलेखों का परीक्षण किया जाएगा। तत्पश्चात पात्र पायी गई संस्थाओं को प्रेजेन्टेशन प्रस्तुत करने के संबंध में तिथि इत्यादि की सूचना से अवगत कराया जाएगा।

1.	निविदा प्रपत्र विक्रय की अन्तिम तिथि	-	22/12/2014 समय 5.00 बजे
2.	भरे हुए निविदा प्रपत्र/परियोजना प्रस्ताव कार्यालय में जमा करने की तिथि	-	23/12/2014 समय 1.30 बजे
3.	समिति द्वारा प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण एवं निविदा प्रपत्र का खोला जाना (अवकाश आदि की तिथि में अगले दिन निविदा खोला जाएगा)	-	23/13/2014 समय 4.00 बजे

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास
नारायणपुर